**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

APPEAL NO. 24 OF 2025

IN THE MATTER OF:

BAL BHARTI PUBLIC SCHOOL ..... APPLICANT

VERSUS

COMMISSION FOR AIR QUALITY MANAGEMENT IN NATIONAL CAPITAL REGION & ADJOINING & ANR. ....RESPONDENT

.

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Reply on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	
2.	**ANNEXURE-1** True copy of the inspection Report Dated 23.10.2024	
3.	**ANNEXURE-2** TrueCopy of show cause notice dated 06.12.2024	
4.	**Annexure-3** True copy of the Reply dated 20.12.2024	
5.	**ANNEXURE-4** True copy of the inspection report	
6	**ANNEXURE-5** True copy of letter dated 27.02.2025	

NEW DELHI
DATED: 25.07.2025

(PRADEEP MISRA& DALEEP DHYANI)

Counsel for Respondent/ Uttar Pradesh Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 24 OF 2025

IN THE MATTER:
BAL BHARTI PUBLIC SCHOOL ..... APPELLANT

VERSUS

COMMISSION FOR AIR QUALITY MANAGEMENT IN NATIONAL CAPITAL REGION & ADJOINING AREA & ANR. ..... RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 02.07.2025

NOTARIAL
Sandeep Sharma Reg. No. 186/98 GOVT. OF INDIA

I, Ankit Singh, S/o. Shri Ajit Singh, aged about 38 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad, U.P. at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the abovenoted capacity am well conversant with the facts and record of the present case, hence am competent to swear this affidavit.

2. That the abovenoted Appeal came up for hearing on 02.07.2025 when this Hon'ble Tribunal permitted U.P. Pollution Control Board file reply on merit as well as on maintainability of Appeal.

3. That in pursuance of the said order, present reply is being filed.

4. That the Appellant has filed instant Appeal before this Hon'ble Tribunal wherein the following prayer has been made:

24 JUL 2025

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 186/98 GOVT. OF INDIA

"(a) Set aside the directions issued by the Respondent No. 2 vide letter dated 27.02.2025 issued on behalf of the Respondent NO. 1 pursuant to F:18015/01/2022-MERD/3277-97 dated 06.02.2024 w.r.t. "Standard Scheduled for Environmental Compensation (EC) Charges in Closure Directions issued by the Commission" that are applicable to polluting units only.

(b) Grant any other relief as deemed appropriate in the interest of justice."

5. That it is submitted that the Commission For Air Quality Management in National Capital Region & Adjoining Areas (herein after referred to as CAQM) has issued a letter dated 06.02.2024 to define Standard Schedule for Environmental Compensation (EC) Charges in closure directions issued by the commission for violation of extent rules, directions, orders, guidelines etc and also defines the standard formula for imposition of Environmental Compensation.

6. That the Commission for Air Quality Management in National Capital Region & Adjoining Areas had implemented restrictions under Grap stage-1 and Grap stage-2 on 14.10.2024 & 21.10.2024 respectively in response to deteriorating air quality.

7. That the Commission has defined the standard formula for imposition of environmental compensation under different categories and as per annexure annexed with letter dated 06.02.2024, the formula for calculation of EC under the

NOTARY Sandeep Sharma Regd. No. 184/78 GOVT. OF INDIA

24 JUL 2025

category of Construction & Demolition Projects/activities is given hereunder:-

1. **Non-registration on the web-portal of the concerned SPCB / DPCC:-** Rs. 1,00,000 for projects with total area construction < 20,000 sq. mtr. Rs. 2,00,000 for projects with total area construction > 20,000 sq. mtr.

2. **Self-audit reports not uploaded on the web portal and / or video fencing of the project boundary not being carried out:-** Rs. 20,000 for projects with total area construction < 20,000 sq. mtr. Rs. 40,000 for projects with total area construction > 20,000 sq. mtr.

3. **Non-deployment of prescribed no. of anti-smog guns:-** Rs. 7,500 for each anti-smog gun not deployed at the site per day.

4. **Ineffective dust mitigation measures (with respect to provision of wind barkers / dust screens / covering of construction materials and debris etc.)** Rs. 7,500 for plot area < 500 sq. mtr. per day Rs. 15,000 for plot area> 500 sq. mtr. per day.

5. **Transportation of materials / C&D waste in uncovered vehicles:-** Rs. 7,500 for each such incident.

8. That the replying Respondent conducted a surprise inspection of the school premises, Bal Bharati Public

NOTARY Sandeep Sharma Regd. No. 166/98 GOVT. OF INDIA

24 JUL 2023

School located at Brij Vihar, Sahibabad, Ghaziabad on 23.10.2024. At the time of inspection, violations were observed during the period of restrictions imposed under Grap stage-1 and Grap stage-2 in respect to construction & demolition projects/activities and the report was sent to the headquarter of U.P. Pollution Control Board, Lucknow on 31.10.2024 recommending for imposing Environmental Compensation as per Standard Schedule for Environmental Compensation (EC) Charges in closure directions issued by the commission on 06.02.2024. Copy of inspection report dated 23.10.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

9. That considering the violation done by the Appellant during the visit, the replying Respondent vide letter dated 06.12.2024 issued show cause notice for imposing Environmental Compensation of Rs 36,20,000/- under Section 31-A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Copy of show cause notice dated 06.12.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

10. That in response to the show cause notice dated 06.12.2024, the Appellant submitted its reply dated 20.12.2024. Copy of the reply is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3.**

11. That pursuant to the show cause notice dated 06.12.2024, the replying Respondent again conducted an inspection of school premises, Bal Bharati Public School on 07.01.2025. During the inspection, PTZ camera, low cost dust sensor and anti smog gun at the construction site were not found

NOTARY Sandeep Sharma Regd. No.1166/98 GOVT. OF INDIA

2 JUL 2025

installed. Copy of inspection report is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4.**

12. That it is further submitted that the the reply of show cause notice was duly considered, but was not found satisfactory.

13. That in view of violations, the replying Respondent has imposed an Environmental Compensation of Rs. 36,20,000/- under Section 31-A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 upon the Appellant as per Standard Schedule For Environmental Compensation (EC) Charges under the category of construction & demolition for projects/activities issued by CAQM vide its letter dated 06.02.2024. It is further submitted that the Appellant was directed to deposit the amount within a week, however, the same has not been deposited so far. Copy of letter dated 27.02.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-5.**

14. That it is pertinent to mention here that one Mokshi Bhardwaj, R/O Block-D, Tower-6, GH.07, Crossing Republic, Ghaziabad has filed Original Application No. No.73/2025 before this Hon'ble Tribunal against the construction being done by Bal Bharati Public School, Brij Vihar, Sahibabad, Ghaziabad. This Hon'ble Tribunal vide order dated 20.05.2025 has disposed of the same. Relevant extracts of the said order are as under:-

> *"......The prayer no.1 in the OA is blanket in nature to close the Respondent No. 11 school. We do not find any justifiable material to grant such a prayer. In support of the second prayer also no cogent and*

NOTARY Sandeep Sharma Regd. No. 166/96 GOVT. OF INDIA

2 JUL 202

reliable material has been placed on record. That apart, for the earlier violations by the Respondent No. 11 the requisite action has already been taken by the UPPCB. No reliable material has been pointed by learned counsel for the applicant to show that there is subsequent violation. However, if any subsequent violation takes place, the applicant will be at liberty to approach the competent authority with all the requisite details……"

15. That it is humbly submitted that because of various violations found during the period when restrictions under Grap-1 and Grap-2 were imposed, the replying Respondent imposed Environmental Compensation as per the schedule issued by CAQM, Respondent No. 1 after due process of law.

16. That the present Appeal has been filed under Section 18 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region & Adjoining Areas Act, 2021 (hereinafter referred to as the Act, 2021).

17. That Section 18 of the said Act, 2021 reads as follows:

"18. Appeal. – An appeal shall lie to the National Green Tribunal constituted under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010) against any order, direction or action taken by or on behalf of the Commission constituted under section 3."

18. That from perusal of above provision it is clear that present Appeal under Section 18 of the said Act, 2021 is not maintainable and thus liable to be dismissed.

Sandeep Sharma Regd. No. 186/98 GOVT. OF INDIA

24 JUL 2023

PARAWISE REPLY

1. That the contents of Para 1 need no reply. However, it is submitted that Appeal under Section 18 of Act, 2021 is not maintainable.

2. That the contents of Para 2 are wrong, hence denied.

3. That in reply to the contents of Para 3 it is submitted that EC is imposed by the replying Respondent due to the violations and only the formula for imposing EC as propounded by CAQM has been used. Rest of the contents of para are denied.

4. That the contents of Para 4 are wrong, hence denied. It is submitted that the formula is applicable in case of various other violations as is clear from the reading of letter dated 06.02.2024 issued by CAQM.

5. That the contents of Para 5 are wrong, hence denied. It is submitted that the Appellant was found violating the Grap restrictions, hence the action has been taken and EC has been imposed.

6-8. That the contents of Paras 6 to 8 need no comments.

9. That in reply to the contents of Para 9 it is submitted that on the day of inspection several violations have been found in the premises of Appellant.

10. That the contents of Para 10 need no reply.

11. That in reply to the contents of Para 11 it is submitted that at the time of inspection violation has been found in

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1186/98 GOVT. OF INDIA

24 JUL 2025

the premises of Appellant and any contrary statement is wrong and denied.

12. That the contents of Para 12 are wrong, hence denied. The letter dated 21.10.2024 between the Appellant and its vendor is of no consequence.

13. That in reply to the contents of Para 13 it is admitted that showcause notice dated 06.12.2024 has been issued, however, the statement, levelling false and frivolous allegations and indicating arbitrary amount as Environmental Compensation is wrong and denied.

14. That the contents of Para 14 are matter of record and nothing contrary to record is admitted.

15. That the contents of Para 15 are admitted to the extent that again inspection of the school premises was conducted on 07.01.2025.

16. That the contents of Para 16 are matter of record.

17. That the contents of Para 17 are matter of record and nothing contrary to record is admitted.

18. That the contents of Para 18 are wrong, hence denied and in reply thereto necessary submissions will be urged at the time of hearing.

19. That the grounds in the Appeal are argumentative in nature and will be replied at the time of hearing.

NOTARY
Sandeep Sharma
Regd. No. 1166/98
GOVT. OF INDIA

24 JUL 2025

In view of aforesaid facts and circumstances Appeal under reply is liable to be dismissed as not maintainable and also on merits.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 24 DAY OF JULY, 2025 AT Ghaziabad.

DEPONENT

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1136/98 GOVT. OF INDIA

ATTESTED (Sandeep Sharma) Reg. No. 1136/98 NOTARY PUBLIC Ghaziabad (U.P.)

24 JUL 2025

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1859/ एच0ई0/ 235 /2024 दिनांक 30/10/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विषय: मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग के पत्र दिनांक 14.10.2024 द्वारा ग्रेप स्टेज–1 एवं पत्र दिनांक 21.10.2024 द्वारा ग्रेप स्टेज–2 लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में संस्था का औचक निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों दिनांक 23.10.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है।

आख्यानुसार परियोजना के विरूद्ध मा0 आयोग द्वारा अपने संख्या 18015/01/2022–MERD/3277–97 दिनांक 06.02.2024 द्वारा "Standard Schedule for Environmental Compensation (EC) Charges in Closure Directions issued by the Commission" जारी गाईड लाईन के बिन्दु संख्या 01 व 02 के अनुसार रू0 2,40,000/–की एक मुस्त एवं बिन्दु संख्या 03 एवं 04 रू0 45,000/–प्रतिदिन के अनुसार परियोजना द्वारा निरीक्षण दिनांक से अनुपालन न किये जाने की तिथि तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग के पत्र दिनांक 14.10.2024 द्वारा ग्रेप स्टेज–1 एवं पत्र दिनांक 21.10.2024 द्वारा ग्रेप स्टेज–2 लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में संस्था का औचक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23.10.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर, पाया गया एवं संस्था प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती स्नेह लता चौहान, एडमिन उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद एक स्कूल निर्माणाधीन संस्था है, जिसका कन्सट्रक्शन एरिया लगभग 20000 वर्गमीटर होना उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया।
2. उक्त संस्था को स्थापनार्थ हेतु राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 156681/UPPCB/Ghaziabad(UPPCBRO)/CTE/GHAZIABAD/2022 Dated:- 06/06/2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार परियोजना द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित नही की गयी है।
3. निरीक्षण के समय परियोजना मे पी0टी0जेड0 कैमरा, लोकास्ट डस्ट सेंसर एवं एन्टीस्मॉग गन स्थापित नही पाया गया। परियोजना द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा निर्माण हेतु खुदाई के दौरान जनित मिटटी का भण्डारण खुले मे पाया गया, जिसके डस्ट उत्सर्जन से आस–पास की परिवेशीय वायु गुणता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
4. परियोजना मे सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित गाइर्डलाइन के अनुसार एन्टीस्मॉग स्थापित नही है। परियोजना में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एन्टी स्मॉग गन की स्थापना, डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं सेल्फ आडिट किया जाना आवश्यक है, परन्तु परियोजना द्वारा वर्तमान तक नही किया गया है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:–

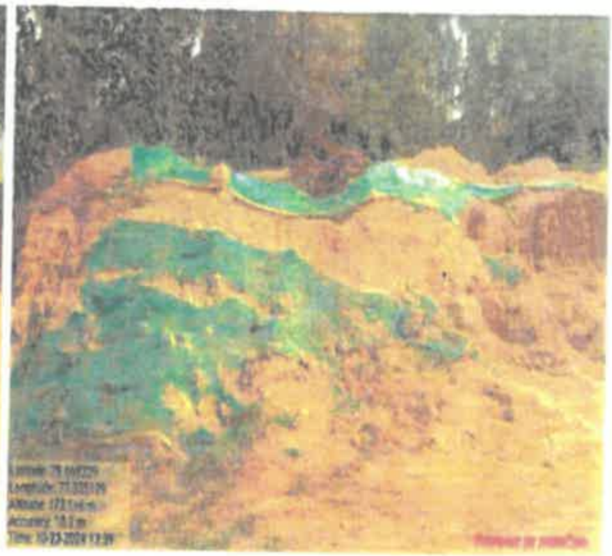

5. निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल एवं भण्डारित सामग्री पर पानी का छिड़काव नही पाया गया। परियोजना स्थल पर खुदाई के दौरान मिटटी को ग्रीन नेट से उचित ढंग से कवर्ड नही किया गया है, जिससे आस–पास के क्षेत्र मे धूल मिटटी आदि के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है।
6. मा0 आयोग द्वारा अपने संख्या 18015/01/2022–MERD/3277–97 दिनांक 06.02.2024 द्वारा "Standard Schedule for Environmental Compensation (EC) Charges in Closure Directions issued by the Commission" जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत Construction & Demolition Projects / activitiesकी श्रेणी में उल्लेखित मुख्य अंश निम्नवत् है:–

(III) Construction & Demolition Projects / activities

1. **Non-registration on the web-portal of the concerned SPCB / DPCC:-** Rs. 1,00,000 for projects with total area construction < 20,000 sq. mtr. Rs. 2,00,000 for projects with total area construction > 20,000 sq. mtr.
2. **Self-audit reports not uploaded on the web portal and / or video fencing of the project boundary not being carried out:-** Rs. 20,000 for projects with total area construction < 20,000 sq. mtr. Rs. 40,000 for projects with total area construction > 20,000 sq. mtr.
3. **Non-deployment of prescribed no. of anti-smog guns:-** Rs. 7,500 for each anti-smog gun not deployed at the site per day
4. **Ineffective dust mitigation measures (with respect to provision of wind barkers / dust screens / covering of construction materials and debris etc.)** Rs. 7,500 for plot area < 500 sq. mtr. per day Rs. 15,000 for plot area> 500 sq. mtr. per day
5. **Transportation of materials / C&D waste in uncovered vehicles:-** Rs. 7,500 for each such incident

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23.10.2024 को परियोजना का निरीक्षण करते हुये निर्देशों का उल्लघंन पाया गया। तद्नुसार इकाई के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	उल्लघंन का विवरण	गणना	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति(रू0)
1.	Non-registration on the web-portal of the concerned SPCB / DPCC	2,00,000/–(कुल कन्सट्रक्शन एरिया 20000 वर्गमी0 से अधिक)	2,00,000/–
2.	Self-audit reports not uploaded on the web portal and / or video fencing of the project boundary not being carried out	40,000/–(कुल कन्सट्रक्शन एरिया 20000 वर्गमी0 से अधिक)	40,000/–
3.	Non-deployment of prescribed no. of anti-smog guns	प्रति एन्टी स्मोग गन हेतु रू0 7500/-प्रतिदिन (04 नग एन्टी स्मोग गन के सापेक्ष एक भी एन्टी स्मोग गन स्थापित नही है) =7500x4xN	30,000/–प्रतिदिन निरीक्षण दिनांक से अनुपालन न किये जाने की तिथि तक
4.	Ineffective dust mitigation measures (with respect to provision of wind barkers / dust screens / covering of construction materials and debris etc.	15,000/– प्रतिदिन (कुल प्लाट एरिया 500 वर्गमी0 से अधिक) =15,000xN	15,000/–प्रतिदिन निरीक्षण दिनांक से अनुपालन न किये जाने की तिथि तक

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना के विरूद्व मा0 आयोग द्वारा अपने संख्या 18015/01/2022–MERD/3277–97 दिनांक 06.02.2024 द्वारा "Standard Schedule for Environmental Compensation (EC) Charges in Closure Directions issued by the Commission" जारी गाईड लाईन के बिन्दु संख्या 01 व 02 के अनुसार रू0 2,40,000/–की एक मुस्त एवं बिन्दु संख्या 03 एवं 04 रू0 45,000/–प्रतिदिन के अनुसार परियोजना द्वारा निरीक्षण दिनांक से अनुपालन न किये जाने की तिथि तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(ध्रुवदेव वर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(एन0के0 पाण्डेय)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H20787 /सी–1/सा0–2025/का0ब0नो0–वायु/2024 पंजीकृत दिनांक– 06-12-24

मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल,
बृज विहार, साहिबाबाद,
गाजियाबाद। (9871581802)

यह कि मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद एक स्कूल निर्माणाधीन संस्था है, जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2 (के) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश के क्रम में मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–23.10.2024 को संस्था प्रतिनिधि श्रीमती स्नेह लता चौहान, एडमिन की उपस्थिति में किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग के पत्र दिनांक 14.10.2024 द्वारा ग्रेप स्टेज–1 एवं पत्र दिनांक 21.10.2024 द्वारा ग्रेप स्टेज–2 लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। निरीक्षण आख्यानुसार कन्स्ट्रशन एरिया लगभग 20000 वर्गमीटर होना उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया। निरीक्षण के समय परियोजना में पी0टी0जैड0 कैमरा, लोकास्ट डस्ट सैंसर एवं एन्टीस्मॉग गन स्थापित नहीं पाया गया। परियोजना द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा निर्माण हेतु खुदाई के दौरान जनित मिट्टी का भण्डारण खुले में पाया गया, जिसके डस्ट उत्सर्जन से आस–पास की परिवेशीय वायु गुणता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। परियोजना में Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार एन्टीस्मॉग स्थापित नहीं है। परियोजना में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एन्टी स्मॉग गन की स्थापना, डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं सेल्फ आडिट किया जाना आवश्यक है, परन्तु परियोजना द्वारा वर्तमान तक नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर भण्डारित सामग्री पर पानी का छिड़काव नहीं पाया गया। परियोजना स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी को ग्रीन नेट से उचित ढंग से कवर्ड नहीं किया गया है, जिससे आस–पास के क्षेत्र में धूल मिट्टी आदि के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है।

यह कि संदर्भित संस्था को स्थापनार्थ हेतु राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ सं0–156681/UPPCB/Ghaziabad (UPPCBRO)/CTE/GHAZIABAD/2022 दिनांक 06.06.2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। परियोजना द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

यह कि मा0 आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–18015/01/2022–MERD/3277–97, दिनांक 06.02.2024 द्वारा "Standard Schedule for Environmental Compensation (EC) Charges in Closure Directions issued by the Commission" जारी किया गया है। जिसके अन्तर्गत Construction & Demolition Projects/activities की श्रेणी के अंतर्गत आच्छादित है। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्रांक–1859/सा0पत्रा0–235/2024, दिनांक 30.10.2024 के माध्यमसे सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा पारित निर्देशों की अनुपालन न किये जाने पर परियोजना के विरूद्ध Non registration on the web-portal of the concerned SPCB/DPCC हेतु Rs. 2,00,000/-, Self-audit reports not uploaded on the web portal and/or video fencing of the project boundary not being carried out हेतु Rs. 40,000/- अर्थात् रू0 2,40,000/– की एक मुस्त तथा Non-deployment of prescribed no. of anti-smog guns हेतु रूपया–30,000/– प्रतिदिन निरीक्षण दिनांक से अनुपालन होने की तिथि तक एवं Ineffective dust mitigation measures (with respect to provision of wind breakers/dust screens/covering of construction material and debris etc.) हेतु रूपया–15,000/– प्रतिदिन निरीक्षण दिनांक से अनुपालन होने की तिथि तक अर्थात् कुल रू0 45,000/– प्रतिदिन के अनुसार परियोजना द्वारा निरीक्षण दिनांक से अनुपालन न किये जाने की तिथि तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

AEE(H)

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में परियोजना के निर्माण कार्य के संचालन को रोका जाये।

..2/

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
ई–मेल : info@uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
E-mail : info@uppcb.com

(2)

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या व संस्तुति दिनांक 20.10.2024 के अनुक्रम मे वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबादबाद, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबादबाद, गाजियाबाद के विरूद्ध Non registration on the web-portal of the concerned SPCB/DPCC हेतु Rs. 2,00,000/-, Self-audit reports not uploaded on the web portal and/or video fencing of the project boundary not being carried out हेतु Rs. 40,000/- अर्थात् रू0 2,40,000/- की एक मुस्त तथा Non-deployment of prescribed no. of anti-smog guns हेतु रुपया-30,000/- प्रतिदिन निरीक्षण दिनांक से अनुपालन होने की तिथि तक एवं Ineffective dust mitigation measures (with respect to provision of wind breakers/dust screens/covering of construction material and debris etc.) हेतु रुपया-15,000/- प्रतिदिन निरीक्षण दिनांक से अनुपालन होने की तिथि तक अर्थात् कुल रू0 45,000/- प्रतिदिन के अनुसार परियोजना द्वारा निरीक्षण दिनांक से अनुपालन न किये जाने की तिथि तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में परियोजना के विरूद्ध उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी, वृत्त-1

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी, वृत्त-1

Annexure - 3

BP - 20/12/24

To

The Environmental Engineer In-Charge

2088/G

U.P. Pollution Control Board

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Subject: Response to Show-Cause Notice Regarding Air Pollution Prevention and Control

Reference: Show-Cause Notice No. H20787 / C-1 / S-2025 / Ka.B.No.- Air / 2024, dated 06-12-2024

Dear Sir/Madam,

We acknowledge the receipt of the show-cause notice and appreciate the opportunity to provide clarification. Our response addresses the concerns raised in the notice.

Regarding the inspection conducted on 23rd October, our Administrative Officer made several requests for a follow-up report, but unfortunately, we didn't receive a response. We're concerned that the notice was issued 44 days after the inspection, which raises questions about the timing and validity of this communication.

We'd like to correct some inaccuracies in the notice. Our school's total area is 20,800 sq. meters, but the actual construction area is only 9,330 sq. ft. (867 sq. meters).

1. During the inspection, no samples of pollution dust particles were taken, however all information requested by the inspector was provided by the school. We have received a consent issued in 2022 under Section 21(4) of the Air Pollution Prevention and Control Act, 1981.

2. On 6th June 2022, we received a letter from the board confirming our compliance. Since then, there have been no objections, queries, or notices from the board. We have consistently adhered to the Environmental Protection Act, 1986, and all related rules and regulations for air pollution prevention and control have been followed from time to time.

3. Regarding the status of construction of the new block, the work is in the initial stage, limited to digging and backfilling. This activity was halted following the implementation of GRAP. Preventive

AEE(N)

21/12/2024

measures have been undertaken to control air and water pollution. The construction project began September 2024, and all activities were stopped in accordance with the GRAP II and IV guidelines within a month of construction.

4. We also wish to highlight the preventive measures taken during the construction phase. Excavation areas were covered with green cloth, and vegetation was grown on-site. Excavated areas were watered in advance, and sprinklers were used every two hours. Specifically, the mud was watered 1.5 hours before the inspector's arrival.

5. Based on the facts outlined, we believe there has been a misunderstanding regarding the findings in the report. Since the project has been inactive for the last two years, no compliance reports were to be filed during this period. Furthermore, the board has not issued any notice of non-compliance or revocation since 6th June 2022.

6. We assure you that all activities have been conducted within the ambit of the law, and preventive measures have been diligently implemented. We are currently preparing a detailed explanation of the construction area and related activities, which will be submitted within a fortnight.

In conclusion, we respectfully request the withdrawal of the penalty demands mentioned in the notice and ask for the notice to be reconsidered considering the clarifications provided and the facts and discrepancies highlighted. Should any further clarification be required, we are prepared to provide the same.

Thank you for your understanding and cooperation.

Sincerely,

Swapna Nair

Principal

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2195 / बी–352 / 2025 दिनांक 11/2/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मैसर्स बाल भारती पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद को जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.12.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 2459 / सी / बी–352 / 2025 दिनांक 30.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन परियोजना का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.01.2025 को किया गया। संशोधित आख्या पत्र के साथ संलग्नकर परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त तालिका के अनुसार रू0 34,20,000 / –की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए परियोजना के विरूद्ध जारी कारण बताओं नोटिस पत्रांक एच–20787 / सी–1 / सा0–2025 / का0ब0नो0–वायु / 2024 दिनांक 06.12.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स बाल भारती पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद को जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.12.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–20787/सी–1/सा0–2025/का0ब0नो0–वायु/2024 दिनांक 06.12.2024 द्वारा इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उक्त के अनुपालन के इकाई का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.01.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई मे निर्माण कार्य संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप मे स्नेह लता चौहान, एडमिन उपस्थित थी। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. मैसर्स बाल भारती पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद एक शैक्षिक संस्थान है, जिसमे निर्माण कार्य किया जा रहा है। इकाई कुल प्लाट एरिया 20000 वर्गमीटर से अधिक है।
2. निरीक्षण के समय इकाई मे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एण्टी स्मॉग गन की स्थापना नही पायी गयी तथा पी0टी0जेड0 कैमरा, लो–कास्ट डस्ट सेन्सर की स्थापना नही पायी गयी।
3. इकाई द्वारा डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नही किया गया है।
4. इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.12.2024 के माध्यम से जारी निर्देशों का समुचित अनुपालन नही किया जा रहा है।
5. इकाई द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस के अनुपालन अपना प्रतिउत्तर/प्रत्यावेदन बोर्ड मुख्यालय को सम्बोधित करते हुए इस कार्यालय मे दिनांक 20.12.2024 मे प्राप्त कराया गया है, जो कि संतोषजनक नही है।
6. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है:–

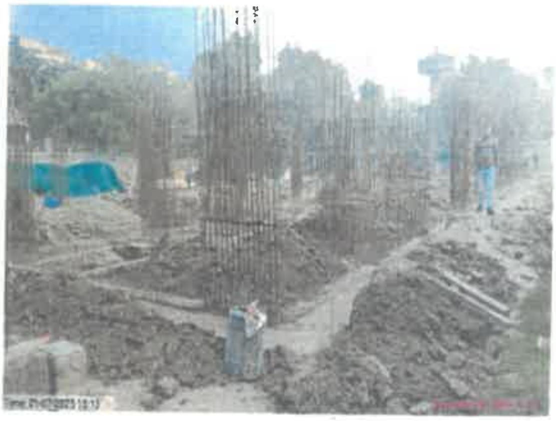

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना:–

क0सं0	उल्लघंन का विवरण	गणना	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति(रू0)
1.	Non-registration on the web-portal of the concerned SPCB / DPCC	2,00,000/–(कुल कन्स्ट्रक्शन एरिया 20000 वर्गमी0 से अधिक)	2,00,000/–
2.	Self-audit reports not uploaded on the web portal and / or video fencing of the project boundary not being carried out	40,000/–(कुल कन्स्ट्रक्शन एरिया 20000 वर्गमी0 से अधिक)	40,000/–
3.	Non-deployment of prescribed no. of anti-smog guns	प्रति एन्टी स्मोग गन हेतु रू0 7500/- प्रतिदिन (04 नग एन्टी स्मोंग गन के	परियोजना द्वारा एण्टी स्मॉग गन की स्थापना नही की गयी है। अतः परियोजना के प्रथम निरीक्षण दिनांक 23.10.2024 से नवीन निरीक्षण

		सापेक्ष एक भी एन्टी स्मोग गन स्थापित नही है) =7500x4xN	दिनांक 07.01.2025 तक कुल 77 दिन हेतु रू0 30000/-प्रतिदिन के अनुसार कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 23,10,000/- आंकलित है।
4.	Ineffective dust mitigation measures (with respect to provision of wind barkers / dust screens / covering of construction materials and debris etc.	15,000/- प्रतिदिन (कुल प्लाट एरिया 500 वर्गमी0 से अधिक) =15,000Xn	परियोजना द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना मे dust mitigation measures (with respect to provision of wind barkers / dust screens / covering of construction materials and debris etc. आदि के सम्बन्ध मे अनुपालन किया जा रहा है। अतः परियोजना के प्रथम निरीक्षण दिनांक 23.10.2024 से 19.12.2024 तक कुल 58 दिन हेतु रू0 15000/-प्रतिदिन के अनुसार कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 8,70,000/- आंकलित है।
कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति			**रू0 34,20,000/-**

अतः परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त तालिका के अनुसार रू0 34,20,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए जारी कारण बताओं नोटिस पत्रांक एच-20787/सी-1/सा0-2025/का0ब0नो0-वायु/2024 दिनांक 06.12.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(डी0डी0 वर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(एन0के0 पाण्डेय)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-5

B/P 5/3/2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक H24755 /सी–1/सा–2025/प0क्ष0/2025, दिनांक 27-2-25

सेवा में,

मै0 बाल भारती पब्लिक स्कूल,
बृज विहार, साहिबाबाद,
गाजियाबाद।

विषय : इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 19881 की धारा–31ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.12.2024 की पुष्टि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच20787/सी–1/सा0–2025/का0ब0नो0–वायु/2024, दिनांक 06.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से इकाई के विरूद्ध मा0 सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 19881 की धारा–31ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक–शून्य, जो बोर्ड में दिनांक 23.12.2024 को प्राप्त हुआ है, के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 07.01.2025 को इकाई प्रतिनिधि श्रीमती स्नेहलता चौहान, एडमिन की उपस्थिति में करते हुए पत्र दिनांक 30.01.2025 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के समय इकाई में निर्माण कार्य संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार ,साहिबाबाद, गाजियाबाद एक शैक्षिक संस्थान है, जिसमें निर्माण कार्य किया जा रहा है। इकाई का कुल प्लाट एरिया 20000 वर्गमीटर से अधिक है। निरीक्षण के समय इकाई में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एण्टी स्मॉग गन की स्थापना नहीं पायी गयी तथा पी0टी0जेड0 कैमरा, लो–कास्ट डस्ट सेन्सर की स्थापना नहीं पायी गयी। इकाई द्वारा डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन में इकाई द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा पत्रांक F.No.-18015/01/2022-MERD/3277-97, दिनांक 06.02.2024 द्वारा निर्गत 'Standard Schedule for Environmental Compensation (EC) Charges in Closure Direction issued by the Commission" के अंतर्गत (III) Construction & Demolition Projects/activities हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है:–

क्र. सं.	उल्लंघन का विवरण	गणना	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रू0)
1.	Non-registration on the web-portal of the concerned SPCB/DPCC	2,00,000/– (कुल कन्स्ट्रक्शन एरिया 20,000 वर्गमी0 से अधिक)	2,00,000/–
2.	Self-audit reports not uploaded on the web portal and / or video fencing of the project boundary not being carried out	40,000/– (कुल कन्स्ट्रक्शन एरिया 20,000 वर्गमी0 से अधिक)	40,000/–
3.	Non-deployment of prescribed on. of anti-smog guns	प्रति एन्टी स्मोग गन हेतु रू0 7500/– प्रतिदिन (04 नग एन्टी स्मोग गन के सापेक्ष एक भी एन्टी स्मोग गन स्थापित नहीं है) =7500X4XN;	परियोजना द्वारा एण्टी स्मॉग गन की स्थापना नहीं की गयी है। अतः परियोजना के प्रथम निरीक्षण दिनांक 23.10.2024 से नवीन निरीक्षण दिनांक 07.01.2025 तक कुल 77 दिन हेतु रू0 30000/– प्रतिदिन के अनुसार कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 23,10,000/– आंकलित है।

4.	Ineffective dust mitigation measures (with respect to provision of wind barkers / dust screens / covering of construction materials and debris etc.)	15,000/– प्रतिदिन (कुल प्लाट एरिया 500 वर्ग0मी0 से अधिक) =15000XN	परियोजना द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर में परियोजना dust mitigation measures (with respect to provision of wind barkers/dust screens/covering of construction materials and beris etc) आदि के संबंध में अनुपालन किया जा रहा है। अतः परियोजना के प्रथम निरीक्षण दिनांक 23.10.2024 से 19.12.2024 तक कुल 58 दिन हेतु रू0 15000/– प्रतिदिन के अनुसार कुल पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अनुसार कुल पर्यावरण क्षतिपूर्ति रू0 8,70,000/– आंकलित है।
	कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति –		रू0 34,20,000/–

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक–2495/बी–352/2025, दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में परियोजना के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.12.2024 की पुष्टि करते हुए, उपरोक्त तालिका के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 11.02.2025 के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के पत्र दिनांक 06.02.2024 द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स बाल भारतीय पब्लिक स्कूल, बृज विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरूद्ध रू0 34,20,000/– (रूपया चौतीस लाख बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि रू0 34,20,000/– (रूपया चौतीस लाख बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान राज्य बोर्ड के Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: **https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB** तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत</u>।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी वृत्त–1

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परियोजना के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी वृत्त–1